न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : श्री अजय कुमार आर्य, आर.ए.एस

अपील संख्या 40/2024

सुनिल कुमार पुत्र ईश्वरलाल, जाति महाजन, निवासी सिंघाना, उपतहसील सिंघाना, जिला झुन्झुनू। —अपीलान्ट—

बनाम

1. **राजस्थान** सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू।
2. **उप तहसीलदार** सिंघाना, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू।

—रेस्पोडेन्ट—

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू—राजस्व अधिनियाम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 27.05.2024 बअदालत उप तहसीलदार सिंघाना उनवानी प्रकरण सरकार बनाम सुनिल मुकदमा संख्या 03/2024 अ.धारा 90(क) राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 सपठित धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955।

उपस्थितिः—

1. श्री अमित कुमार शर्मा.....अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अधिवक्ता.....रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक : 14.5.2025

पत्रावली पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पटवार हल्का सिंघाना ने उप तहसीलदार सिंघाना के समक्ष एक रिपोर्ट ग्राम सिंघाना के खसरा नम्बर 805/246 कुल रकबा 0.26 हैक्टर किस्म बारानी जाव 1 की भूमि में अकृषि कार्य संबंधी प्रस्तुत की, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिंघाना ने दिनांक 27.05.2024 को अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये बिना ही एवं विधि की सम्यक् प्रकिया का पालन किये बिना ही आदेश पारित कर दिया एवं अपीलान्ट को उसके कब्जे काश्त की भूमि हाल खसरा नम्बर 805/246 कुल रकबा 0.26 हैक्टर में निर्माण कार्य नही करने तथा मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने के आदेश कर दिये। प्राकृतिक न्यायालय के अनुसार किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajay Kumar Arya
Date: 2025.05.26 13:11:27 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

आदेश पारित करने से पूर्व उसे अपना पक्ष रखने का तथा उसे सुने जाने का पूर्ण अधिकार है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र संक्षिप्त प्रक्रिया के आधार पर अपीलान्ट जो के रिकार्डेड खातेदार है के विरूद्ध एक पक्षीय स्थगन आदेश पारित कर दिया है। प्रकरण में विवादित आदेश दिनांक 27.05.2024 उप तहसीलदार सिंघाना द्वारा पारित किया गया है जबकि धारा 90(क) भू–राजस्व अधिनियम 1956 के संबंध में कोई भी आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तहसीलदार होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूची के क्रमांक 8 (क) तथा 92 (क) के अनुसार धारा 212 के अन्तर्गत कोई भी व्यादेश केवल उपखण्ड अधिकारी अथवा सहायक कलक्टर के न्यायालय द्वारा ही पारित किया जा सकता है। जबकि इस प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 उप तहसीलदार सिंघाना ने अस्थाई निषेधाज्ञा का व्यादेश पारित कर दिया, जिसकी उसको कोई अधिकारिता नही थी। दिनांक 24.05.2024 को इसी भूमि के संबंध में उप तहसीलदार सिंघाना द्वारा अपने पत्रांक 24/212 के द्वारा जिला कलक्टर को यह भूमि नगरपालिका सिंघाना के क्षेत्राधिकार में होने के संबंध में सूचित किया गया था तथा बाद में उप तहसीलदार सिंघाना ने प्रकरण में विवादित स्थगन आदेश पारित किया है।

इस प्रकार अपीलान्ट कस्बा सिंघाना के खसरा नम्बर 805/246 रकबा 0.26 हैक्टर भूमि का रिकार्डेड खातेदार है व उसका विधिक कब्जा है। वर्तमान में यह भूमि नगरपालिका सिंघाना के क्षेत्र में स्थित है। इस कारण अपीलान्ट को इस भूमि में समस्त प्रकार का उपयोग उपभोग निर्माण कार्य आदि करने के अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा यदि किसी भी न्यायालय द्वारा एक पक्षीय अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में आदेश 39 नियम 3 सी.पी.सी. की पालना किया जाना आज्ञात्मक है। इस प्रकरण में आदेश दिनांक 27.05.2024 में ना तो आदेश 39 नियम 3 सी.पी.सी. की पालना का आदेश दिया गया है तथा न ही आदेश दिनांक 27.05.2024 पारित करने के बाद आदेश 39 नियम 3 सी.पी.सी. की पालना की गई है। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिंघाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.05.2024 को अपास्त किया जाने का निवेदन किया।

अपील न्यायालय में प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट को नोटिस भेजकर तामील की गई। मिसल मातहत तलब की जाकर बहस सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अदालत मातहत ने अपीलान्ट [illegible]र्डेड खातेदारी की भूमि में एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रकरण में विवादित [illegible] निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान [illegible]किया गया है। प्रकरण में आदेश दिनांक 27.05.2024 में ना तो आदेश 39 नियम [illegible] सी.पी.सी. की पालना का आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajay Kumar Arya
Date: 2025.05.26 13:11:27 IST
Reason: Self Attested

दिया गया है तथा न ही आदेश दिनांक 27.05.2024 पारित करने के बाद आदेश 39 नियम 3 सी.पी.सी. की पालना की गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिंघाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.05.2024 को अपास्त किया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। मिसल अधीनस्थ न्यायालय के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में विवादित भूमि कृषि भूमि है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिंघाना द्वारा आदेश दिनांक 27.05.2024 में ना तो आदेश 39 नियम 3 सी.पी.सी. की पालना का आदेश दिया गया है तथा न ही आदेश दिनांक 27.05.2024 पारित करने के बाद आदेश 39 नियम 3 सी.पी.सी. की पालना की गई है। चुंकि प्रकरण में विवादित भूमि अपीलान्ट की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि है जिससे अपीलान्ट को उक्त भूमि में समस्त प्रकार का उपयोग उपभोग निर्माण कार्य आदि करने के अधिकार प्राप्त है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिंघाना ने प्रकरण में विवादित निर्णय पारित करते समय अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य/सबुत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नही किया है। प्रकरण में अदालत मातहत ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अधीन उक्त आदेश पारित किया है। जो अदालत मातहत के क्षेत्राधिकार में नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण को धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 में प्रदत्त प्रावधानों के आलौक में अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिंघाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.05.2024 मुकदमा संख्या 03/2024 उनवानी सरकार बनाम सुनिल अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति मय मिसल अग्रिम कार्यवाही हेतु उप तहसीलदार सिंघाना को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट द्वारा कृषि से अकृषि से उपयोग किया होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत उपखण्ड न्यायायल में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विधिक कार्यवाही करवाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक १५.५.२०२५ को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ajay Kumar Arya
Date: 2025.05.26 13:11:27 IST
Reason: SelfAttested

(अजय कुमार आर्य),
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू।